



अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्  
ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION  
(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय) (A STATUTORY BODY OF THE GOVT. OF INDIA)

फाइल सं० : 4-764/आर.टी.आई./अभातशिप/14

दिनांक: 19 मई, 2014

सेवा में,

श्री अनंत कुमार सोनी  
S/o श्री बी०पी० सोनी  
गोपाल स्कूल के पास  
सिद्धार्थ नगर,  
सतना (म०प्र०)-485001

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना बावत्।

प्रिय महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विश्वविद्यालय ब्यूरो, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) को प्राप्त आपके पत्र दिनांक 22.04.2014, जिसमें आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, के अधीन सूचना मांगी गई है, के संबंध में वांछित सूचना निम्नवत है:-

क्रम सं०	सूचना जो मांगी गई	जवाब
1.	किसी विश्वविद्यालय में तकनीकी एवं प्रोफेशनल कोर्सेस जैसे-B.Tech, MBA, MCA आदि को संचालित करने के लिए AICTE से मान्यता लेना आवश्यक है या नहीं। विश्व विद्यालयों के संबंध में AICTE की क्या भूमिका है के रिकार्ड की प्रमाणित प्रति।	राज्य विधान के द्वारा स्थापित किए गए विश्वविद्यालयों सहित निजी विश्वविद्यालयों के लिए संकाय/पाठ्यक्रम आरंभ करने से पूर्व अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है। यद्यपि तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले, राज्य विधान के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालयों एवं निजी विश्वविद्यालयों के लिए अभातशिप द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए सन्धियों एवं मानकों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अभातशिप को दिये गये दिशानिर्देशित पत्र (दिनांक 07 मार्च, 2007, 26 मई, 2011 एवं 9 मई, 2013) सलंगन हैं।

धन्यवाद।

भवदीय,

जन सूचना अधिकारी  
अभातशिप-विश्वविद्यालय ब्यूरो

प्रतिलिपि:

- केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, अभातशिप, नई दिल्ली।